Observation regarding significance of Adjournment Motion

माननीय अध्यक्ष **:** मैं देख रहा हूं कि हर रोज स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देना, मैं इस विषय पर कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती माननीय अध्यक्षों ने कई बार व्यवस्था दी है और उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप मैं भी व्यवस्था देना चाहता हूं ।

माननीय सदस्यगण, स्थगन प्रस्ताव वास्तव में बहुत ही असाधारण प्रावधान है, जो सरकार का ध्यान तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले की तरफ आकर्षित करता है ताकि तत्काल विषयों पर कार्यवाही न करने पर या कोई गंभीर विषय पर हो, उस विषय पर ही स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है । स्थगन प्रस्ताव में उठाए जाने वाला मामला निश्चित तत्काल और सार्वजनिक मत का होना चाहिए । स्थगन प्रस्ताव में निंदा का तत्व होता है । स्थगन प्रस्ताव तब तक स्वीकार्य नहीं होता, जब तक कि सरकार संविधान और कानून द्वारा निर्धारित कृत्यों के पालन में विफल न हो । नियम-56 की गंभीरता और महत्व को ठीक से समझे बिना हर दिन बहुत सारे माननीय सदस्य क्षेत्रीय मुद्दों के लिए भी स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं । कई माननीय सदस्य राज्य के विषयों पर भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना देते हैं । ये प्रयास स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता और उसके महत्व को कम करेगा । इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि एक ही राजनीतिक दल के सदस्य अलग-अलग विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं देते हैं ।

मेरा आग्रह है और पूर्व में ऐसी परम्परा भी रही है कि एक राजनीतिक दल का एक व्यक्ति और उसमें हस्ताक्षर कर सकता है । वे एक साथ स्थगन प्रस्ताव दें क्योंकि स्थगन प्रस्ताव की गंभीरता को हमें समझना चाहिए । इसके अलावा मैंने यह भी अनुभव किया है कि कई माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करते हैं । सोशल मीडिया पर प्रचारित करते हैं । मेरा आग्रह है कि इसकी अनुमति नहीं होती है कि सदन में आए बिना किसी भी विषय को प्रेस में या सोशल मीडिया पर दिया जाए । मेरा आग्रह है कि आप सभी सदन की गरिमा, मर्यादा और परम्पराओं का पालन करेंगे ।